अतिआवश्यक / आज ही

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–5)विभाग

सं.प.9(21)कार्मिक / क–5 / 2017 जयपुर, दिनांक 20.06.2017

1. समस्त अति. मुख्य सचिव
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर
4. समस्त विभागाध्यक्ष।

विषयः–सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति की रिक्तियों का निर्धारण कर बैकलॉग को भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक (क–2) विभाग का परिपत्र क्रमांक प. 2(5)कार्मिक / क–2 / 2004 दिनांक 01.07.2015 संलग्न कर लेख है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की रिक्तियों के बैकलॉग का निर्धारण कर समयबद्ध तरीके से पदों को भरे जाने की क्रियान्विति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया था। इसी क्रम में लेख है कि आपके नियन्त्रणाधीन विभागों में दिनांक 31 मार्च 2017 की स्थिति में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले विभिन्न पदों में पदवार, रिक्त पद, अनुसूचित जाति / अनु. जनजाति के आरक्षण अवशेष (बैकलॉग) की सूचना निर्धारित संलग्न प्रपत्र में अविलम्ब (मय साफ्ट कॉपी अनिवार्य रूप से **M.S world** में E-mail: **kailashchand.dop@gmail.com** पर अथवा **सी.डी. मे**) इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित कराये जाने का श्रम करावें।

उक्त बैकलॉग को भरे जाने की क्रियान्विति रिपोर्ट माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा अवलोकनार्थ चाही गई है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प० 9(21) का/5-5/2017

अतिआवश्यक/आज ही

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले विभिन्न पदों में रिक्त पद, अनु. जाति/जनजाति के आरक्षण अवशेष (बैकलॉग) संबंधी सूचना का विवरण

विभाग का नाम ______________________

पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	पद में अंतिम बार सीधी भर्ती से की गई नियुक्ति का वर्ष	बैकलॉग		भर्ती का माध्यम
			अनु0 जाति	अनु. जन जाति	
1	2	3	4	5	6

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक-प. 2(5)कार्मिक/क-2/2004 जयपुर, दिनांक : 1.07.2015

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित ।

परिपत्र

विषय:-अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के संबंध में।

कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश प. 15 (24) कार्मिक/क-2/75 दिनांक 09.10.2000 एवं समसंख्यक परिपत्र आदेश दिनांक 14.12.2000 के द्वारा समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये थे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में बैकलॉग रिक्तियों को एक अलग तथा विशिष्ट समूह के रूप में माना जायेगा तथा इन्हें जिस वर्ष में भरा जा रहा है, उस वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने में नहीं गिना जायेगा ।

इसी क्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों को भरने तथा बैकलॉग रिक्तियों की सही प्रकार से गणना करने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों के बावजूद भी राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों और नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. की बैकलॉग रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण विभागों में बैकलॉग रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड एवं अन्य के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को शीघ्र भरने की कार्यवाही करें तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग को भी नियमानुसार गणना कर भरने की कार्यवाही करें तथा भर्ती के संबंध में की गई कार्यवाही एवं प्रेषित अर्थनाओं की सूचना से कार्मिक (क-2) विभाग को अवगत करावें। यदि किसी प्रकरण में बैकलॉग भरने की कार्यवाही में कोई परेशानी/बाधा आ रही है, तो उसका भी उल्लेख करावें।

(सी0एस0 राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिवगण।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

Ganesh ji//2015/Circular--12

33/2015